SHRI H L. PATWARY:**

MR DEPUTY-SPEAKER. Behave like an importan person, that is what I am telling you to do

---

15 02 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR SETTING UP A CEMENT PLANT AT BASOHLI, JAMMU AND KASHMIR

DR KARAN SINGH (Udhampur): In reply to Starred Question No 154 answered on 26th July 1978 it has clearly been stated that the cement plant in Basohli, Jammu and Kashmir, has been approved in the name of the J & K Minerals Ltd With the construction of the Them Dam which will start shortly, there is an urgent need for setting up this cement factory there Unfortunately, there are reasons to believe that the Jammu & Kashmir Government is not pursuing this matter as vigorously as was expected Recently some press reports that the project is likely to be shifted to Punjab, have caused widespread resentment in the Jammu region Basohli is a far flung Tehsil of the Jammu region and has been declared as a backward area The cement factory there has been planned many years ago and several assurances have been given regarding its construction The present uncertainty is causing avoidable unrest in the area I would urge the Government of India to take up this matter immediately with the Jammu & Kashmir Government and, if necessary help to arrange the funds for this vital project which has already been inordinately delayed

(ii) REPORTED EMPLOYING OF RESIDENTS OF TEEKAMGARH ONLY BY BHEL

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजराहो) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तेहत नीचे लिखे विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

केन्द्रीय शासन द्वारा बेलार (झांसी, उत्तर प्रदेश) में बी० एच० ई० एल० का कारखाना स्थापित है। वह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इस कारखाने के कई भवन मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ की सीमा में लगे हुए हैं। कारखाने का सारा विस्तार जिला टीकमगढ़ की सीमा में होता है। आगे जब इसका विकास होगा, तब जिला टीकमगढ़ की सीमा में ही होगा। जिला झांसी और जिला टीकमगढ़ के कई गांव एक दूसरे की सीमा के बीच में स्थित हैं। यह संस्थान बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने को स्थापित हुआ है। बुन्देलखण्ड में जिला टीकमगढ भी आता है।

इस संस्थान में कुशल एवं अकुशल कामगर की जो नवीन भरती की जाती है, वह जिला झांसी या उत्तर प्रदेश के जालौन, बांदा, हमीरपुर, जिलों की भर्ती की जाती है। केवल जिला टीकमगढ़ के उम्मीदवार नौकरी से वंचित रखे जाते हैं। यह संकीर्णता की मनोवृत्ति मानवीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है। इस भेदभाव से जिला टीकमगढ की जनता में बेहद असंतोष है। शासन का मैंने पहले भी कई बार ध्यान आकर्षित किया पर उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानीय अधिकारी सही परिस्थिति को शासन के समक्ष नहीं रख रहे हैं।

मुझे आशा है कि उद्योग मंत्री इस बंदिश को शीघ्र हटायेंगे और जिला टीकमगढ़ के रोजगार दफ्तर से उम्मीदवारों के नाम मंगाने की कार्यवाही करेंगे, जिस से भेदभाव मिट सके।

(iii) SALE OF SULPHURIC ACID BY HINDUSTAN ZINCE LTD, UDAIPUR

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत इस विषय की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बारे में

**Not recorded